तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20-2-25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे फर्द बटवारा रियोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त रियोर्ट पर वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी. वकील वादी ने प्राप्त फर्द बटवारा रियोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया. प्रकरण मे बहस सुने जाने के पश्चात फर्द बटवारा रियोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

2

22.

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 66 / 2018

मुस्मात भंवरी बाई पुत्री चतरभुज जाति कहार उम्र व्यस्क निवासी गोपालपुरा हाल मु. पत्नि मदनलाल कहार निवासी राजगढ़ , तह0 बेंगूँ ,जिला चितौड़गढ़ (राज.)

..........वादीयॉ

— बनाम —

1:— मोहनलाल पिता कुका जाति धाकड़ उम्रं व्यस्क निवासी गोपालपुरा ,तह. बेंगूँ

2:— शाख प्रबंधक ,सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बेंगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज.)

3:— श्रीमान भुमिधारी अधिकारी जरिये तहसीलदार सा बेंगूँ, जिला चितौड़गढ़(राज.)

4:— श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौड़गढ़ जरिये राजस्थान सरकार

..........प्रतिवादीगण

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 ,209 रा.का.अधि.

उपस्थित : श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता वादीय | निर्णय दिनांक 16.07.2019

वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह चुण्डावत द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि वादीयॉ व प्रतिवादी सं. 1 के सयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त कि आराजीयात मौजा गोपालपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तह. बेंगूँ में स्थित है,जिसके खाता सं. 128 होकर आराजी नं. 664 रकबा 0.1500 है0, आ. नं. 665 रकबा 0.290 है0,,आ.नं. 666 रकबा 0.090 है0 ,आ.नं. 667 रकबा 0.290 है0 ,आ.नं. 668 रकबा 0.240 है0, आ.नं. 669 रकबा 0.0700 है0 ,आ.नं. 670 रकबा 0.1100 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 1.2400 है0 है।

यह कि उक्त आराजी में वादीयॉ का 1/10 व प्रति.सं. 1 का 9/10, हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं। वादीयॉ एंव प्रतिवादी सं. 1 अपने अपने हक हिस्से पर काबीज होकर बेरोक टोक काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि वादीयॉ अपने हक हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार पर मौके पर कब्जे अनुसार बटवारा कराने की अधिकारीणि है। वादीयॉ अपने 1/10 हक हिस्से अनुसार बटवारा कर खाता पृथ्क् —पृथ्क किए जाने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

...........2

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि वाद कारण दिनांक 16.05.18 को वादीयॉं द्वारा प्रतिवादी सं.1 को तहसील में चलकर हक हिस्से अनुसार बटवाड़ा कराने को कहा लेंकिन मना करने से पैदा हो हर रोज वर्तमान है।

यह कि प्रतिवादी सं. 2 बैंक तथा 3 व 4 वाद में आवश्यक पक्षकार भुमिधारी व प्रतिनिधी राजस्थान सरकार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं ।

यह कि वाद वर्णित विवादीत आराजियात तह. बेंगूॅ में स्थित होने व पक्षकार भी तह. बेगूॅ के स्थाई निवासी हाने के कारण वाद श्री मान के क्षैत्रााधिकार व श्रृवणाधिकार को होने से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अतः श्री मान से वादीयॉं निम्न अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैः–

वाद वादीयॉं का स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित आराजी गापोलपुरा पं.ह. दौलतपुरा में स्थित **खाता सं. 128** में वादीयॉं का वादीयॉं का 1/10 व प्रति.सं. 1 का 9/10, हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है, का मौके पर हक हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन किया जाकर वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक का खाता पृथ्क – पृथ्क से दर्ज रेकार्ड किया जावें।

वादीया का वांद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये। पत्रावली में प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के विरूद्ध मामला एक तरफा होने व प्रतिवादी सं0 3 व 4 की ओर से भूमिधारी द्वारा जवाब दावा मुताबिक रिकोर्ड दावा स्वीकार किया जाने का उल्लेख करते हुए जवाब प्रस्तुत किया जानेसे वादीया की ओर से साक्ष्य वादीया में वादीया भंवरीबाई पुत्री चतुरभुज व गवाह सोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये, साक्ष्य जिरह वादीया में वादीया मुख्य परीक्षण में उपस्थित आई तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी प्रदर्श– 1 अंकन करते हुए प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 की ओर से जिरह नहीं किये जाने पर वादीया की साक्ष्य पूर्ण की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली में वादीया की साक्ष्य पूर्ण होने तथा प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर वाद पत्र पर अधिवक्ता वादीया की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादीया द्वारा अपनी बहस वाद अनुसार करते हुए वादीया का मौजा मौजा गोपालपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तह. बेंगूॅ में स्थित है,जिसके खाता सं. 128 होकर आराजी नं. 664 रकबा 0.1500 है0, आ. नं. 665 रकबा 0.290 है0,,आ.नं. 666

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

रकबा 0.090 है0 ,आ.नं. 667 रकबा 0.290 है0 ,आ.नं. 668 रकबा 0.240 है0, आ.नं. 669 रकबा 0.0700 है0 ,आ.नं. 670 रकबा 0.1100 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 1.2400 है0 भूमि में वादीया का 1/10 व प्रति.सं. 1 का 9/10, हक अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा गोपालपुरा प0ह0 दौलतपुरा की सं0 2013–76 प्रदर्श– 1 का अवलोकन किया गया, जमाबंदी में वर्णित आराजी संख्या 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670 कीता– 7 रकबा1.2400 हैक्टर भूमि में वादीया भंवरीबाई का हिस्सा 1/10 अंकित होने से वादीया अपने हिस्से की भूमि को पृथक कराने की अधिकारी पाई जाती है।

अतः वाद वादीया का अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है मौजा मौजा गोपालपुरा प0ह0 दौलतपुरा की सं0 2013–76 प्रदर्श– 1 का अवलोकन किया गया, जमाबंदी में वर्णित आराजी संख्या 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670 कीता– 7 रकबा1.2400 हैक्टर भूमि में वादीया भंवरीबाई का हिस्सा 1/10 व शेष हिस्सा प्रतिवादी का बदस्तूर जमाबंदी रखते हुए आराजी का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूं को 1000/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा वादीया का प्राथमिक डिक्री किया जाता है। पत्रावली में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर डिक्री प्रतिलिपि वास्ते फर्द बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है।

प्राथमिक डिक्री निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

16.7.'19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ, जिला चित्तौड़गढ़

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 66 / 2018

मुस्मात भंवरी बाई पुत्री चतरभुज जाति कहार उम्र व्यस्क निवासी गोपालपुरा हाल मु. पत्नि मदनलाल कहार निवासी राजगढ़ , तह0 बेंगूँ ,जिला चितौड़गढ़ (राज.)

...........वादीयाँ

— बनाम —

1:— मोहनलाल पिता कुका जाति धाकड़ उम्रं व्यस्क निवासी गोपालपुरा ,तह. बेंगूँ

2:— शाख प्रबंधक ,सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बेंगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज.)

3:— श्रीमान भुमिधारी अधिकारी जरिये तहसीलदार सा बेंगूँ, जिला चितौड़गढ़(राज.)

4:— श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौड़गढ़ जरिये राजस्थान सरकार

..........प्रतिवादीगण

अतः वाद वादीया का अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है मौजा मौजा गोपालपुरा प0ह0 दौलतपुरा की सं0 2013—76 प्रदर्श— 1 का अवलोकन किया गया, जमाबंदी में वर्णित आराजी संख्या 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670 कीता— 7 रकबा1.2400 हैक्टर भूमि में वादीया भंवरीबाई का हिस्सा 1/10 व शेष हिस्सा प्रतिवादी का बदस्तूर जमाबंदी रखते हुए आराजी का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 1000/— रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा वादीया का प्राथमिक डिकी किया जाता है। पत्रावली में प्राथमिक डिकी जारी की जाकर ड़िकी प्रतिलिपि वास्ते फर्द बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है।

प्राथमिक डिकी निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

16.7.19

(रमेश सीरवी पुनाडियाँ)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि पालनार्थ : तहसीलदार बेगूँ।